"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2016—आश्विन 15, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हर्षद पित्रोड़ा आत्मज श्री तरूण पित्रोड़ा, उम्र 30 वर्ष, निवासी-32/204, गौशालापारा, आजाद चौक, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम हर्षद पित्रोड़ा (अंग्रेजी में) HARSHAD PITRODA उल्लेखित है जो सत्य है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम हर्षद पित्रोड़ा (अंग्रेजी में) HARSSHAD PITRODA रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे हर्षद पित्रोड़ा Harsshad pitroda आत्मज श्री तरूण पित्रोड़ा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

HARSHAD PITRODA
Father's Name Tarun Pitroda
Address-32/204, Goushala Para,
Azad chowk Rajnandgaon (C. G.)
491441

नया नाम

HARSSHAD PITRODA
Father's Name Tarun Pitroda
Address-32/204, Goushala Para,
Azad chowk Rajnandgaon (C. G.)
491441

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अंकिता मिश्रा पिता श्री नरेश मिश्रा, निवासी-संडे मार्केट, नया गंज, रायगढ़, तहसील व जिला रायगढ़ (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के दस्तावेज तथा कुछ अन्य दस्तावेजों में मेरा बचपन का घरेलू नाम अंकिता मिश्रा (Ankita Mishra) दर्ज है किन्तु बाद में स्कूल एवं विद्यालयों में तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम लिपिष्मिता एन मिश्रा दर्ज होते चला आ रहा है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम लिपिष्मिता एन मिश्रा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे लिपिष्मिता एन मिश्रा (Lipishmita N Mishra) पिता श्री नरेश मिश्रा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अंकिता मिश्रा (Ankita Mishra) पिता श्री नरेश मिश्रा निवासी-संडे मार्केट, नया गंज रायगढ़ तहसील व जिला रायगढ़ (छ. ग.)	लिपिष्मिता एन मिश्रा (Lipishmita N Mishra) पिता श्री नरेश मिश्रा निवासी-संडे मार्केट, नया गंज रायगढ़ तहसील व जिला रायगढ़ (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खेलन राम आत्मज श्री भारत लाल, निवासी-ग्राम कोदवाही, तहसील मरवाही, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम खेलन राम आ. भारत लाल है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम करन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे करन आत्मज श्री भारत लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
खेलन राम आत्मज श्री भारत लाल निवासी-ग्राम कोदवाही, तहसील मरवाही, जिला बिलासपुर (छ. ग.)	करन आत्मज श्री भारत लाल निवासी-ग्राम कोदवाही, तहसील मरवाही, जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजीव नंदा पिता श्री रमेश महानंद, उम्र 34 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 6-सी, सड़क नंबर 28-ए, सेक्टर-10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे से संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम भुबन किशोर महानंद लिखा हुआ है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम संजीव नंदा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे संजीव नंदा पिता श्री रमेश महानंद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
भुबन किशोर महानंद पिता श्री रमेश महानंद निवासी-क्वा. नं. 6-सी, सड़क 28-ए, सेक्टर 10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	संजीव नंदा पिता श्री रमेश महानंद निवासी-क्वा. नं. 6-सी, सड़क 28-ए, सेक्टर 10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रियंका मिश्रा पिताश्री स्व. आर. एस. मिश्रा, उम्र 23 वर्ष, जाति ब्राम्हण, निवासी-मालखरौदा हाल मुकाम जांजगीर, वार्ड नं. 17, तहसील व जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा वर्तमान में नाम प्रियंका मिश्रा है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सिल्विया मिश्रा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे सिल्विया मिश्रा पिताश्री स्व. आर. एस. मिश्रा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
प्रियंका मिश्रा (Priyanka Mishra) पिताश्री स्व. आर. एस. मिश्रा निवासी-जांजगीर, वार्ड नं. 17, तहसील व जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	सिल्विया मिश्रा (Silviya Mishra) पिताश्री स्व. आर. एस. मिश्रा निवासी-जांजगीर, वार्ड नं. 17, तहसील व जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति चम्पा सोनी पति श्री भागवत प्रसाद सोनी, उम्र 45 वर्ष, निवासी–क्वा. नं. 5/ए, रोड 22, सेक्टर 7, भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री भागवत प्रसाद सोनी के बी. एस. पी. भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भूलवश श्रीमति चम्पा देवी सोनी दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति चम्पा सोनी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमति चम्पा सोनी पति श्री भागवत प्रसाद सोनी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमति चम्पा देवी सोनी (Smt. Champa Devi Soni)
पति श्री भागवत प्रसाद सोनी
निवासी–क्वा. नं. 5/ए, रोड 22, सेक्टर 7,
भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमति चम्पा सोनी (Smt. Champa Soni)
पति श्री भागवत प्रसाद सोनी
निवासी–क्वा. नं. 5/ए, रोड 22, सेक्टर 7,
भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरूण कुमार देवांगन आत्मज श्री भारत लाल देवांगन, उम्र 22 वर्ष, जाति कोष्टा, निवासी–ग्राम पारागांवखुर्द, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कक्षा 10 वीं के अंकसूची में मेरा नाम अरूण दर्ज है तथा मेरे 12वीं के अंकसूची में मेरा नाम अरूण कुमार देवांगन दर्ज है जो कि सत्य है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अरूण कुमार देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अरूण कुमार देवांगन आत्मज श्री भारत लाल देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अरूण
आत्मज– श्री भारत लाल देवांगन
निवासी– वार्ड नं. 12, ग्राम व पोष्ट पारागांवखुर्द
तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.)
पिन 491 445

नया नाम

अरूण कुमार देवांगन
आत्मज– श्री भारत लाल देवांगन
निवासी– वार्ड नं. 12, ग्राम व पोष्ट पारागांवखुर्द
तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.)
पिन 491 445

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Bilaspur the 26 September 2016

Ref. No. S. B. C./C. G./2016/848.- In terms of Rules 31 (A) of Election Rules governing the election of State Bar Council of Chhattisgarh. A casual Vacancy has occurred due to the Resignation letter of Shri Sudhir Kumar Pandey, Member of this Council.

Therefore it is notified for general information of all concerned that Shri Bharat Lal Loniya, Advocate, R/o Link Road Agrasen Chowk, Bilaspur, C. G. Chhattisgarh having been the last candidate eliminated in the process of election held on 14-08-2014 and is also qualified to be elected as member of the State Bar Council of Chhattisgarh-in accordance with the provisions of Sec. 3 (2) (B) of the Advocate Act 1961- is hereby inducted as 25th Member of State Bar Council of Chhattisgarh from the date of publication of this notification in the Gazette of State of Chhattisgarh.

Deepak Singh Thakur,
Off. Secretary, State Bar Council of C. G.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2016

प्रारूप
[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/1890/प्र. 2/अ. वि. अ./वा.2016.— यत: कि श्रीमती संगीता केतन शाह पति श्री केतन मूलचंद शाह निवासी ए-5 सूर्यविहार जुनवानी रोड भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा “सिम्पलेक्स फाउण्डेशन चेरिटेबल ट्रस्ट-32 शिवनाथ काम्पलेक्स जी. ई. रोड सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग” के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन दिया गया है, एतद्‌द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 07-10-2016 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	" सिम्पलेक्स फाउण्डेशन चेरिटेबल ट्रस्ट-32 शिवनाथ काम्पलेक्स, जी. ई. रोड सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग "
(2)	चल संपत्ति	:	25,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

ए. के. बाजपेयी,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016

फार्म-4 नियम देखिये

[लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक/530/लो. न्या./अ. वि. अ./वा.-1.— आवेदक श्री राजकुमार उर्फ राजा पिता स्व. रामनारायण साहू निवासी खोवा मंडी, गोल बाजार, बिलासपुर, श्री अशोक साहू पिता गणेश प्रसाद साहू, निवासी रपटा चौक, शनिचरी बाजार, बिलासपुर, श्री प्रभात साहू पिता स्व. भरत कुमार साहू, निवासी गोडपारा, बिलासपुर, श्री रामलाल साहू पिता स्व. हनुमान प्रसाद साहू निवासी चिंगराजपारा, चांटीडीह, तहसील व जिला बिलासपुर, श्री राजेश साहू पिता हनुमान दयाल साहू निवासी गोल बाजार, बिलासपुर, श्री महेश साहू पिता स्व. सुखदेव साहू निवासी खपरगंज बिलासपुर, श्री प्रमोद साहू पिता स्व. मेवालाल साहू निवासी तेलीपारा, बिलासपुर, श्री दिलीप गुप्ता पिता काशी नाथ गुप्ता निवासी टिकरापारा, बिलासपुर, श्री मनोज गुप्ता पिता स्व. श्री रामलाल गुप्ता, निवासी खोवामंडी, बिलासपुर, श्री दीपक साहू, पिता स्व. एम. एल. साहू निवासी करबला, बिलासपुर, श्री घनश्याम साहू पिता स्व. रामलाल साहू, निवासी सुभाष नगर बिलासपुर, श्री अमृत लाल साहू पिता भोंदू लाल साहू, निवासी जूना बिलासपुर, श्री उमाकांत साहू पिता स्व. मोहन लाल साहू, निवासी सुभाष नगर, बिलासपुर के हैं. सभी न्यासी गण जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी है. सभी न्यासी गण ने "श्री कैरू साहू सार्वजनिक न्यास ", गोंडपारा, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर, छ. ग. को लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	"श्री कैरू साहू सार्वजनिक न्यास " पता गोडपारा, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़
(2)	चल संपत्ति	:	25,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

क्यू. ए. खान,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा).

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.